न्यायालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

विविध वाद सं0 11/19-20

मो0 इस्हाक,
ग्राम– गुमो, झुमरी तिलैया,
जिला–कोडरमा।

13/07/2019

आवेदक मो0 इस्हाक, ग्राम– गुमो, झुमरी तिलैया, जिला कोडरमा के द्वारा आवेदन के साथ शपथ पत्र सं0– 13 दिनांक 01.10.2016 समर्पित कर आवेदित किया गया है कि मौजा गुमो, थाना नं0–12, खाता नं0–33 एवं 34, कुल रकवा–0.47 एकड का जमाबन्दी पंजी– ।। के भोलूम सं0– 01 पृष्ठ सं0 20 पर बीबी बकरीदन, पति– शेख रोजन के नाम से दर्ज था। पंजी ।। फटा होने के कारण राजस्व मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है। इनके द्वारा उक्त भूमि का अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त भूमि से संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/ अंचल अमीन/अंचल नाजीर /अंचल निरीक्षक से विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 28/08/19 को उपस्थापित करें।

13/07/19

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

28/08/2019

अभिलेख उपस्थापित।

संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/ अंचल अमीन/अंचल नाजीर /प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन में राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक मो0 इस्हाक, पिता– स्व0 रोजन शेख द्वारा मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0– 33 एवं 34, रकवा 0.47 एकड भूमि की जमाबन्दी दर्ज कर रसीद निर्गत करने का आवेदन दिया गया है। उक्त मौजा का पंजी ।। के भोलूम न0– 1 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। आवेदक के द्वारा अंतिम लगान रसीद वर्ष 1995–96 तक की छायाप्रति संलग्न किया गया है। भूमि रैयती खाते की है। अमीन मापी के पश्चात् जमाबंदी दर्ज कर रसीद निर्गत किया जा सकता है।

अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि स्थल जाँच में उक्त भूमि परती पाया गया तथा आवेदक द्वारा अपना पूर्ण दखल–कब्जा बताए गए स्थल पर किसी व्यक्ति द्वारा

Scanned with CamScanner

कोई आपत्ति नहीं किया गया। इस दखल–कब्जे के संदर्भ में आवेदक द्वारा शपथ एवं केवाला सं0– 4512 दिनांक 15.10.1947 प्रस्तुत किया गया। उक्त केवाला द्वारा मौजा गुमो के खाता सं0– 33, प्लॉट सं0– 595, रकवा– 0.04 एकड़ वो प्लॉट सं0– 609, रकवा– 0.02 एकड़, वो प्लॉट सं0– 634, रकवा– 0.28 एकड़ वो प्लॉट सं0– 594, रकवा– 0.02 एकड़ वो प्लॉट सं0– 847, रकवा– 0.03 एकड़ वो प्लॉट सं0– 851, रकवा– 0.02 एकड़ वो प्लॉट सं0– 776, रकवा– 0.0450 एकड़ कुल रकवा– 0.4550 एकड़ क्रय किया गया है। आवेदक द्वारा खरीदगी भूमि को ऑनलाईन में प्रवृष्टि हेतू आवेदन दिया गया है। अत : क्रेता बीबी बकरीदन खातुन पति– शेख रोजन के नाम से ऑनलाईन में प्रवृष्टि की जा सकती है।

अंचल नाजीर द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि लगान रसीद सं0– 304681 का मिलान भण्डार पंजी से किया गया और सही पाया।

प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदन के आधार पर जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की जाती है।

संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अनुशंसा किया गया है कि अमीन मापी के प्रतिवेदन के आधार पर मौजा– गुमो, थाना सं0– 12 के पंजी ।। के भोलूम नं0– 1 पृष्ठ सं0–20 पर खाता न0– 33, प्लॉट सं0– 594, रकवा– 0.02 एकड़, प्लॉट नं0– 595, रकवा– 0.04 एकड, प्लॉट नं0– 609, रकवा– 0.02 एकड, प्लॉट नं0– 634, रकवा– 0.28 एकड, प्लॉट सं0–776 रकवा– 0.0450 एकड़, प्लॉट सं0– 847, रकवा– 0.03 एकड़ एवं प्लॉट सं0– 851 रकवा–0.02 एकड़ कुल रकवा– 0.45½ एकड भूमि बीबी बकरीदन पति शेख रोजन के नाम से जमाबंदी दर्ज किया जा सकता है।

अतः उक्त भूमि को ऑनलाईन करने से संबंधित आम इस्तहार कर दावा/आपत्ति की मांग करें।

आम इस्तहार हस्ताक्षरीत।

अभिलेख दिनांक 11/09/2019 को उपस्थापित करें।

28/08/19
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

11/09/2019 अभिलेख उपस्थापित।
08/11/19

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किन्हीं के द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा/आपत्ति नहीं किया गया है।

Scanned with CamScanner

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी ।। का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.2016 से दिशा निदेश प्राप्त है।

अतः हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/ अंचल अमीन/अंचल नाजीर /प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर मौजा गुमो, थाना नं0– 12, खाता न0– 33, प्लॉट सं0– 594, रकवा– 0.02 एकड़, प्लॉट नं0– 595, रकवा– 0.04 एकड, प्लॉट नं0– 609, रकवा– 0.02 एकड, प्लॉट नं0– 634, रकवा– 0.28 एकड, प्लॉट सं0–776 रकवा– 0.0450 एकड़, प्लॉट सं0– 847, रकवा– 0.03 एकड़ एवं प्लॉट सं0– 851 रकवा–0.02 एकड़ कुल रकवा– 0.45½ एकड भूमि की जमाबन्दी पंजी–॥ पर बीबी बकरीदन, पति –शेख रोजन के नाम से कायम करने हेतू संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक को आदेशित किया जाता है।

उक्त आदेश से यदि किन्हीं को कोई आपत्ति हो तो वे सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

अभिलेख की कार्रवाई को **बंद** की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

04/11/19

अंचल अधिकारी
कोडरमा

04/11/19

अंचल अधिकारी
कोडरमा

Scanned with CamScanner